

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

बस्ती।

पत्रांक संख्या - 01/सी0एफ0 ओ0/ निरीक्षण/पेट्रोलियम पदार्थ अग्निसुरक्षा/2019

दिनांक 13.08.2019

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

बस्ती

विषय:- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खसरा संख्या 77, 78क, 79, 80 व 81, ग्राम मलपुरवा, परगना रसूलपुर, तहसील भानपुर, जनपद बस्ती पर न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु आग्राहक सम्बंध में।

संदर्भ:- प्रभारी अधिकारी (आयुध), कृते जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या 2(3)/आयुध लिपिक दिनांक 03.08.2019 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय में न्यू रिटेल आउटलेट को स्थापित किये जाने वाले स्थल का अग्निसुरक्षा, पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 मानकों के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये:-

1. उपरोक्त प्रस्तावित जनपद बस्ती के बस्ती से डुमरियागंज रोड (एन एच 26) पर स्थित है।
2. प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 1225.00 वर्गमीटर है।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाई टेंसन लाइन नहीं गुजरी है।
4. प्रस्तावित स्थल के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं पाया गया।
5. परिसर के चारो ओर 1.2 मीटर ऊँची व 0.23 मीटर चौड़ी ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
6. परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 11.50 मीटर चौड़ाई के दो गेट प्रस्तावित हैं।
7. पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिग व्यवस्था की आवश्यकता हो तो पेट्रोलियम रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. यदि कैनोपी निर्माण किया जाये तो स्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से निम्नतम ऊँचाई 06 मीटर से कम न हो।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. विद्युत वायरिंग में एम0 सी0 बी0/ई0 एल0 सी0 बी0 का प्रयोग मानकों के अनुसार किया जाये।
4. ब्लाक टैंक के लिए अलग अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिये एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिये तथा उसके चारो ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. बैंट पाइप पेट्रोलियम नियम - 2002 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
6. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
7. लारी से टैंक में तेल भरते समय प्रोपर अर्थिग अति आवश्यक है।
8. बिजली के तारों के साथ ई0 एल0 सी0 बी0 (अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर) व्यवस्था की जाये।
9. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
10. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एस्टिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किग्री प्रत्येक के रखे जाएं। समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा में होने चाहिए व उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।

Vikas Srivastava

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

Constituted Attorney 10/10/19

11. अन्डरग्राउण्ड टैंक के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 गी0 टाईप फायर एस्टिंग्यूशर्स 2-2 अदद क्षमता 75 किग्रा0 के रखे जाए, 75 किग्रा0 के 02 अदद की डी0 गी0 फी0 टाईप एवं 50 लीटर फोम 02 अदद क्षमता तथा 50 किग्रा0 की AFFF टूली होनी चाहिए।
12. इलेक्ट्रिक उपकरणों के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूशर्स 02-02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये।
13. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूशर्स 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये। डीजल जनरेटर सेट के स्टैक हाइट नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के बेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
14. लाइसेंस एरिया में जक्सन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
15. प्रत्येक डिस्पेंसर पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
16. इमरजेंसी प्लान OISD 225 के अनुसार होना चाहिये।
17. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD 225 के अनुसार होनी चाहिए।
18. ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
19. इमरजेंसी प्लान के बोर्ड लगे होने चाहिए।
20. इलेक्ट्रिकल रूम प्रापर वेंटिलेशन होना चाहिए।
21. पेट्रोल पम्प पर “धूम्रपान निषेध”, “खुली आग का प्रयोग वर्जित है” व “नो मोबाइल” के बोर्ड लगे होने चाहिये।
22. फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 101, 05542-282044, मो0 नं0-9454418807 , 9454418808 व डायल 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
23. ग्राहकों व कम्पनी के अपने कान्टैक्ट पर रखे हुए गाड़ी चालकों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर लटकाये।

(क) तेल भरवाने से पहले इंजन बंद कर लें।

(ख) धूम्रपान न करें।

(ग) मोबाइल फोन बंद रखें।

निम्नांकित का बोर्ड डिस्पेंसर के पास लगायें।

क्या करें	क्या न करें
1. मोबाइल फोन बंद रखें।	1. वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न रखें, जब तक वाहन के टैंक से नोजल अलग न हो जाये।
2. तेल भरते समय वाहन का इंजन बंद रखें।	2. धूम्रपान न करें।
3. सुनिश्चित करें कि डिस्पेंसर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हैं।	3. खुली आग का प्रयोग न करें।
4. तेल रिसाव आग की स्थिति में डिस्पेंसर का इमरजेंसी स्टाप बटन दबायें।	4. लारी से तेल टैंक में भरते समय वाहनों में तेल न भरें।

अतः उपरोक्त डांचागत व्यवस्था व प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन न किये जाने पर आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

Vikas Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney 10/10/19

13/08/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पुण्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी
जनपद - बदायूँ